

Email: services2@allahabadhighcourt.in

From:

Rajnesh Kumar, H.J.S.,
Registrar (Judicial)(Services),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To:

**All the District & Sessions Judges, Principal Judges, Family Courts/
Presiding Officers, Commercial Courts/ MACTs/ LAARA,**
District Judiciary of the State of U.P.

No. C - 611 /CF(B)/2026: Dated Allahabad: September 30 ,2026

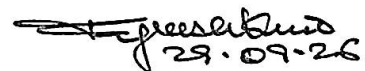
**Subject : Option for the post of Member, Uttar Pradesh Human Rights
Commission, Lucknow**

Madam/Sir,

I am desired to say that options are being invited for the post of Member, Uttar Pradesh Human Rights Commission, Lucknow from such Judicial Officers of the rank of U.P.H.J.S. cadre who have completed a minimum of 7 years as District Judge (or equivalent) to their credit as per Protection of Human Rights Act, 1993 and who have retired or going to retire within next six months i.e. upto **28.02.2027.**

I am, therefore, to request you to kindly send your applications, if you so desire, in such manner so as to reach the Court on or before **08.10.2026** for considering the same for appointment to the aforesaid post.

Yours sincerely,



(Rajnesh Kumar)

Registrar (Judicial)(Services)

Encl.: a copy letter dated 15.09.2026
of the Govt.

प्रेषक,

संजय प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

(1) प्रमुख सचिव,
न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

(2) महानिबंधक,
मा0 उच्च न्यायालय
इलाहाबाद ।

गृह(मानव अधिकार) अनुभाग- 2 लखनऊ, दिनांक: 15 सितम्बर, 2026
विषय- उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग, लखनऊ में रिक्त मा0 सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज्य मानवाधिकार आयोग, लखनऊ में नियुक्त न्यायिक सदस्य, मा0 न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन मेहरोत्रा के दिनांक 11.06.2026 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त पद पर न्यायिक सदस्य का चयन किया जाना है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त के क्रम में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित 2019) की धारा-21 में विहित प्राविधानानुसार, रिक्त न्यायिक सदस्य के रूप में एक सदस्य के चयन हेतु 70 वर्ष से कम आयु (उम्र) वाले, उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक मा0 उच्च न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त मा0 न्यायाधीशों एवं राज्य में कम से कम 07 वर्ष तक जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, को अद्यतन नामों का पैनल/सूचना एवं उनकी सहमति/अनुमति बायोडाटा सहित शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

Digitally signed by
SANJAY PRASAD
Date: 15-09-2026 13:18:38

भवदीय,
(संजय प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।